

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नन्दलाल पिता हीरा जी माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गंगा पुत्री दीपा माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रूकमा पुत्री कल्लू माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बालू पिता कल्लू माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गोपी पिता मोती जी माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 133/2011 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बा लाल कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 03.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा